जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 05 मार्च 2020

जामिया की ओर से महत्पूर्ण बयान

कई अखबारों में यह खबर प्रकाशित हूई है कि सामाजिक कार्यकर्ता श्री हर्ष मंदर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीएए के खिलाफ एक रैली में दिए अपने भाषण में कथित तौर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस भाषण का उल्लेख किया गया है, वह श्री हर्ष मंदर द्वारा विश्वविद्यालय के गेट नंबर के 7 के बाहर, मौलाना मोहम्मद अली रोड पर दिया गया था और यह सार्वजनिक सड़क विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं है। सीएए / एनआरसी / एनपीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 के बाहर सड़क पर चल रहा है, जो जामिया समन्वय समिति द्वारा प्रायोजित है। यह समिति कुछ छात्रों, पूर्व छात्रों और अन्य लोगों द्वारा गठित संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) है जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सीएए आदि पर बोलने के लिए आमंत्रित करती है।

विश्वविद्यालय के पास कई बस्तियों वाले जामिया नगर क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना को यूनिवर्सिटी कैंपस में घटी घटना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाओं का विश्वविद्यालय से कोई लेना-देना नहीं है।

जामिया ने पहले ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है कि विश्वविद्यालय के अंदर रोज़मर्रा की अकादमिक गतिविधियों में बाधा डालने वाली किसी भी प्रकार की विरोध सभा, आंदोलन, भाषण और सामूहिक सभा या गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

इसलिए, किसी भी भ्रम से बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि जेसीसी द्वारा सीएए के विरोध से संबंधित किसी भी खबर में हमारे पक्ष को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

अहमद अज़ीम
जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक